झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन का दिनांक–03.03.2025 को राँची जिले के भ्रमण एवं समीक्षात्मक बैठक से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

समीक्षात्मक बैठक

1. **राँची जिला में दिनांक–03.03.2025 को जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।**

- दिनांक–03.03.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे राँची जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।

2. **आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा राँची जिले में बैठक के दौरान पदाधिकारियों को दिये गये प्रमुख निर्देशः–**

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से आच्छादित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली, पी0 एम0 पोषण, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उक्त योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिया गया कि वे सभी पदाधिकारियों को शिकायतों की प्रति उपलब्ध करा दें एवं 15 दिनों के अन्दर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन से आयोग को अवगत कराएँ। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि प्रायः यह देखा

जाता है कि राँची जिले की शिकायतों का निष्पादन नहीं हो पाता है, इस पर सभी पदाधिकारी विशेष ध्यान दें।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के प्रति गंभीरता दिखाएँ एवं मामले की सुनवाई कर आदेश पारित करें तथा इसकी सूचना आयोग को भी दें।
- श्रीमती रानी देवी, ग्राम–पतगाई, पो0–गागी, पंचायत–बाढ़ु, प्रखण्ड–कांके, जिला–राँची द्वारा ऑफलाइन माध्यम से दर्ज शिकायत, जिसमें 02 वर्षों से आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द रहने का उल्लेख है। उक्त मामले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को जाँच कर प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराया जाता है। इसके अतिरिक्त समर अभियान के तहत् बच्चों एवं उनके अभिभावक को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है।
- राँची जिले में पी0एम0पोषण से सम्बन्धित एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। इसके लिये जिला शिक्षा अधीक्षक बधाई के पात्र हैं।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सम्बन्धित सभी जिलों के अधिकारियों से अपने–अपने प्रखण्डों में झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के जिला स्तर पर आवंटन की स्थिति, पंचायत स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं व्यय के विवरण से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि राज्य के प्रत्येक पंचायत को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि आवंटित की जाती है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष के अन्तर्गत वैसे व्यक्ति जो गरीब एवं असहाय हैं, स्वयं खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर सकते, जिनके सामने भोजन का संकट हो अथवा राशन कार्ड की अहर्ता रखते हुए भी उनके पास राशन कार्ड नहीं है एवं राशन नहीं मिलने के कारण उनके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना न हो जाए, इस हेतु झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है। उक्त कोष के तहत् लाभुक को बाजार दर पर 10 कि0ग्रा0 खाद्यान्न खरीद कर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड स्तर पर राशि के आवंटन की कमी होने अथवा राशि समाप्त होने पर इसकी सूचना जिले के अधिकारियों को दी जाए। यह राशि कभी खत्म नहीं होने

वाली राशि है। प्रत्येक पंचायत में 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को अपने स्तर से समीक्षा करने का निर्देश दिया गया एवं झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित प्रखण्डवार विवरणी की मांग की गई।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी नहीं रहती है। ऐसे में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इस कोष का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करें। प्रखण्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें जागरूक करें एवं योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष का लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाएँ।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा गया कि रिक्ति नहीं होने के कारण यदि लाभुक का राशन कार्ड नहीं बन पाता है अथवा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाता है, तो इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन आयोग को भेजें, ताकि शिकायतकर्ता को अवगत कराते हुए मामले को निष्पादित किया जा सके।

निरीक्षण

3. **दिनांक–03.03.2025 को जिले के रिम्स में स्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण।**
   - दिनांक–03.03.2025 को रिम्स में स्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष के अलावे, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, Deputy नोडल, डॉ0 आशा किरन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
   - Deputy नोडल, डॉ0 आशा किरन द्वारा बताया गया कि जिन बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र से अप रेफरल रिम्स में रेफर किया जाना है, उन बच्चों के लिये ट्रांसपोर्ट की सुविधा होने से वे समय पर रिम्स आ कर अपना ईलाज करा पायेंगे। इस सम्बन्ध में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा विभाग से पत्राचार करने की बात कही गई।

   - Deputy नोडल, डॉ0 आशा किरन द्वारा किचन गार्डेन को विकसित करने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त 24 घंटा मेडिकल ऑफिसर, न्यूट्रिशन को–ऑर्डिनेटर, गार्ड एवं एक सफाईकर्मी की आवश्यकता की बात बताई गई। इस सम्बन्ध में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा विभाग से पत्राचार करने की बात कही गई।

- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा कुपोषण उपचार केन्द्र से सम्बन्धित कैंप लगाकर जागरूक करने का सुझाव दिया गया। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि PRD के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया जा सकता है।

इसके साथ राँची जिले का भ्रमण समाप्त हुआ।

18.3.25

(शबनम परवीन)
प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।